संख्या 81 /ix/280परि0/04/2005

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तरांचल ।

परिवहन अनुभाग देहरादून दिनांक 25 मार्च/ 2005

विषयः– उत्तरांचल परिवहन निगम की आई0एस0बी0टी0 स्थित भूमि पर कार्यशाला निर्माण हेतु ऋण की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक उत्तरांचल परिवहन निगम देहरादून के पत्रांक 249 एचक्यू/प्र0नि0/कार्यशाला निर्माण/04 दिनांक 25–11–2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तरांचल के आदेशों के तहत देहरादून शहर में स्थित परिवहन निगम की कार्यशाला को आई0एस0बी0टी0 के निकट स्थित भूमि पर स्थानांतरित किये जाने का निर्णय लिया है । अतः इस हेतु उत्तरांचल परिवहन निगम ,देहरादून को कार्यशाला के निर्माण हेतु रू0 4.25 करोड (रू0 चार करोड पच्चीस लाख मात्र) की दीर्घकालीन ऋण के रूप में निम्न शर्तों के अधीन दिये जाने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– धनराशि का आहरण करके प्रबंध निदेशक ,उत्तरांचल परिवहन निगम को उपलब्ध करायी जायेगी ।

2– ऋण का उपयोग केवल कार्यशाला के निर्माण पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में उसका उपयोग निगम द्वारा किसी अन्य कार्य के अथवा प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा तथा उन प्रतिबन्धों के अनुसार होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेंगी । यदि इसका उपयोग अनुमोदित प्रयोजन के अलावा किन्हीं अन्य प्रायोजन हेतु किया जाता है तो उक्त धनराशि को उसी समय तक के व्याज सहित एकमुश्त रूप से

शासन को वापस कर दिया जायेगा ।

3– ऋण की अवधि 10 वर्ष के लिए होगी जिसमें से प्रथम दो वर्षों की अवधि को ऋण अदायगी से मुक्त रखा जायेगा तथा इस अवधि में व्याज देय नहीं होगा एवं उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से 8.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज देय होगा । ऋण की अदायगी तीसरे वर्ष से रू0 53.00लाख(रूपये तिरपन लाख मात्र)प्रति वर्ष तथा ब्याज की धनराशि प्रतिवर्ष देय होगी जिसकी अदायगी त्रैमासिक आधार पर की जायेगी । दसवें वर्ष में मूलधन की वापसी रूपये 54.00लाख(रूपये चौवन लाख मात्र) अदा किया जायेगा ।

4– उक्त ऋण से संबंधित लेखा–जोखा परिवहन आयुक्त ,कार्यालय द्वारा भी रखा जायेगा तथा व्याज सहित ऋण के प्रतिदान की समीक्षा भी उनके द्वारा सम्पादित की जायेगी ।

5– उत्तरांचल परिवहन निगम को ऋण की स्वीकृत के एक मास के भीतर राज्य सरकार के साथ उक्त शर्तों के आधार पर एक अनुबंध पर एक अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा ।

6– ऋणी/निगम प्रत्येक ऋण के आहरण की सूचना उप महालेखाकार(राजकोष) कार्यालय महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम ,बाउचर संख्या ,तिथि तथा लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे ।

7– ऋणी/निगम जब भी किस्तों का भुगतान करें या ब्याज जमा करें वह महा–लेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रारूप में अवश्य भेजें :–

अ– कोषागार का नाम

ब–चालान संख्या तथा दिनांक

स– जमा धनराशि किस्त/ब्याज

द–लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया ,किस्त/ब्याज

य– शासनादेश संख्या का संदर्भ

र– पिछले जमा का संदर्भ

महालेखाकार के कार्यालय के अभिलेखों से अवश्य कराया जायेगा ।

9– इस शासनादेश में वित्तीय विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभाग / निगम में तैनात वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी , जैसी भी स्थिति हो ,सुनिश्चित करेंगें यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो ,तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय ।

10– परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा इस धनराशि का आहरण करने से पूर्व उत्तरांचल परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा शासन की ऋण की स्वीकृति के लिए जो शर्तें निर्धारित की गयी हैं ,के अनुसार अनुबंध आदि की कार्यवाही एक माह के अन्दर कर ली जायेगी । परिवहन निगम को स्वीकृत की जा रही धनराशि के कोषागार से आहरण की तिथि से ऋण / ब्याज आदि की गणना की जायेगी ।

11– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या –24 के अन्तर्गत् लेखा शीर्षक 5055–सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय (5053 से स्थानान्तरित)–00–आयोजनागत–190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश–01–उत्तरांचल परिवहन निगम में अंशपूँजी–00–30 निवेश / ऋण के नामे डाला जायेगा ।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 391 / वित्त–3 / 2005 दिनांक 21 मार्च ,2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

संख्या 81 (1)/IX/2003

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तरांचल ,आबराय मोटर्स बिल्डिंग ,सहारनपुर रोड़ माजरा ,देहरादून । वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।

2– प्रबंध निदेशक ,उत्तरांचल परिवहन निगम ,देहरादून ।

3– अपर परिवहन आयुक्त ,उत्तरांचल ,देहरादून ।

4– अपर सचिव ,वित्त (श्री पन्त) उत्तरांचल शासन ।

5– अपर सचिव ,नियोजन विभाग ,उत्तरांचल शासन ।

6– प्रभारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर ,देहरादून ।

7– वित्त अनुभाग–3

8– गार्ड फा ईल ।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)

उप सचिव